न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :–11/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनूं।
–बनाम–
रिद्धकरण पुत्र भुणनाथ जाति जोगी निवासी वार्ड नम्बर 06 मुकुन्दगढ़ थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–
1. सरकार की ओर से :–श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. गैर सायल की ओर से :– स्वयं

–निर्णय–

दिनांक 18.11.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 06.10.2020 को गैर सायल रिद्धकरण पुत्र भुणनाथ जाति जोगी निवासी वार्ड नम्बर 06 मुकुन्दगढ़ थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि रिद्धकरण पुत्र भुणनाथ जाति जोगी निवासी वार्ड नम्बर 06 मुकुन्दगढ़ थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति व अव्वल दर्जे का आदतन जुआरी है तथा उसने जुआ के कारोबार में युवा पीढ़ी को धकेल रहा है, इसका जुआ का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर इसकी गतिविधियों की सूचना देने व रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना ही कोई व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने के लिए तैयार होता है तथा समाज मे इसका भय है। गैरसायल के कृत्य के कारण कस्बा मुकुन्दगढ़ व आस – पास के क्षेत्र में जुआ खेलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। उक्त गैर सायल के कृत्य अभी भी मौका लगने पर लगातार जारी है इसकी इस प्रकार की गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज में विपरीत असर पड रहा है। युवा पीढी को अवैध जुआ के कारोबार की तरफ खींचता ले जा रहा है। इस कारण से युवा पीढ़ी के लोग घरों से पैसे एवं गहना एवं अन्य कीमती सामान आदि को दाव पर लगा देते है तथा जुआ में हार होने की स्थिति में अन्य अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते है तथा आत्महत्या करने की ओर भी अग्रसर हो जाते है गैर सायल के विरूद्ध जुआ खेलने के संबंध में 04 अभियोग दर्ज है।उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अभियोग संख्या 38/18 दिनांक 12.03.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 15/18 दिनांक 14.08.2018 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमे बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 48/18 दिनांक 03.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 25/18 दिनांक 05.04.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमे बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.04.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 06.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 27/18 दिनांक 10.04.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमे बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

District Magistrate
JHUNJHUNU

4. अभियोग संख्या 164/18 दिनांक 02.10.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ में पंज होकर चार्ज सीट नम्बर 126/18 दिनांक 03.10.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमे अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते 300 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार उक्त रिद्वकरण पुत्र भुणनाथ जाति जोगी निवासी वार्ड नम्बर 06 मुकुन्दगढ़ मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गैरसालय ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उक्त को स्वीकार किया तथा अधिवक्ता नियुक्त नहीं करना चाहा।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं–

1. अभियोग संख्या 38/18 दिनांक 12.03.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 15/18 दिनांक 14.08.2018 को न्यायालय में पेश किया जिसमे बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.2018 में अभियुक्त दोषसिद्ध मानते हुए 200 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 48/18 दिनांक 03.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 25/18 दिनांक 05.04.2018 को न्यायालय में पेश किया ग जिसमे बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.04.2018 में अभियुक्त दोषसिद्ध मानते हुए 200 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 06.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 27/18 दिनांक 10.04.2018 को न्यायालय में पेश किया ग जिसमे बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2018 में अभियुक्त दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
4. अभियोग संख्या 164/18 दिनांक 02.10.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना मुकुन्दगढ़ पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 126/18 दिनांक 03.10.2018 को न्यायालय में पेश किया ग जिसमे बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.10.2018 में अभियुक्त दोषसिद्ध मानते हुए 300 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपख (5) में अंकित धारा के अधीन 4 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझ जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी–1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू अभियोग संख्या 38/18 दिनांक 12.03.2018 धारा 13 आरपीजीओअधि0, अभियोग संख्या 48/18 दिना 03.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0, अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 06.04.2018 धारा 13 आरपीजी अधि0 तथा अभियोग संख्या 164/18 दिनांक 02.10.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 में पुलिस था मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2018, 20.04.2018, 24.04.2018 व 09.10.2018 क गैरसायल रिद्वकरण को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत क्रमशः 200, 200, 100 व 30 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल रिद्वकरण राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 अन्तर्गत 4 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। साथ ही गैरसायल स्वयं ने उपस्थि होकर उक्त समस्त कृत्यों को स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हु मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

trict Magistrate
JHUNJHUNU

05	उप खण्ड अधिकारी, बुहाना	अपील	7	0	7	0	0	0	0	7	0	2	3	1	1	0	0
		दावा	1101	0	1101	0	0	0	0	1101	74	137	207	147	210	272	54
		विविध	513	0	513	0	3	0	3	513	96	108	120	78	73	38	0
		योग	1621	0	1621	0	3	0	3	1621	170	247	330	226	284	310	54
06	उप खण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी	दावा	1472	16	1488	0	2	0	2	1486	198	283	224	190	274	317	0
		अपील	24	0	24	0	0	0	0	24	5	6	6	0	5	2	0
		प्रार्थना प. 212 आर. टी.ए	1062	16	1078	0	1	0	1	1077	148	192	189	129	211	208	0
		136 एल.आर.एक्ट	76	0	76	0	0	0	0	76	18	17	17	13	3	8	0
		175 आर.टी.एक्ट	00	0	00	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
		इजराय	87	2	89	0	1	0	1	88	10	9	21	19	7	22	0
		योग	2721	34	2755	0	4	0	4	2751	379	507	457	351	500	557	0
7.	उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ़	दावा	1277	20	1297	0	4	0	4	1293	163	93	193	141	277	426	0
		विविध	731	16	747	0	1	0	1	746	63	44	95	83	212	248	1
		अपील	24	1	25	0	0	0	0	25	6	4	1	0	7	7	0
		रिकार्ड दुरू.	45	4	49	0	3	0	3	46	25	18	3	0	0	0	0
		पत्थरगढी	21	0	21	0	0	0	0	21	18	1	1	1	0	0	0
		धारा 251 क	52	1	53	0	1	0	1	52	27	9	7	7	2	0	0
		धारा 177	29	0	29	0	0	0	0	29	0	5	18	4	2	0	0
		इजराय	78	3	81	0	0	0	0	81	9	21	21	13	7	7	3
		योग	2257	45	2302	0	9	0	9	2293	311	195	339	249	507	688	4
8	उपखण्ड अधिकारी मलसीसर	**दावा**	508	9	517	1	0	0	1	516	81	63	54	70	103	122	23
		अपील	12	0	12	0	0	0	0	12	1	0	1	1	5	4	0
		विविध	433	23	456	8	0	0	8	448	111	54	44	55	60	122	2
		इजराय	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		योग	954	32	986	9	0	0	9	977	193	118	99	126	168	248	25
9	उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	अपील	9	0	9	0	0	0	0	9	3	2	2	2	0	0	0
		दावा	940	20	960	0	6	0	6	954	278	190	147	147	169	23	0
		विविध	874	16	890	0	7	0	7	883	259	157	134	149	164	20	0
		योग	1823	36	1859	0	13	0	13	1846	540	349	283	298	333	43	0